मुख्य अभियंता–6 दरभंगा का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक– 1730 / दिनांक– 23.04.25

प्रेषक,

ई० चन्द्रहास कुमार
मुख्य अभियंता–6

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जयनगर।

विषयः शीर्ष **MMGSY (GEN)** योजनान्तर्गत कार्य प्रमण्डल, जयनगर के अधीन **MMGSY-25-JAYNAGAR-02 (Tender ID-142501)** कार्य की निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्य बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका–163 के आलोक में इस कार्य के लिये न्यूनतम दरदाता **Dipti Priya Construction Private Limited** (**BID ID-621526**) को उनके द्वारा निविदित दर, जो परिमाण विपत्र की दर से **22.00% (बाईस दशमलव शून्य शून्य प्रतिशत)** कम है, को स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण कार्य कुल **68,23,366/– (अड़सठ लाख तेईस हजार तीन सौ छियासठ)** रुपये मात्र की लागत पर पार्षद अनुशंसा एवं कार्यहित में आवंटित किया जाता है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. **SBD** के संसंगत कंडिकाओं के अनुरूप संवेदक से एकरारनामा हेतु **Performance Security Plus Additional Security for Unbalanced Bids** की राशि प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निविदाकार डिबार सूची/काली सूची या कार्य लंबित सूची में शामिल न हो।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य करते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक विन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के असाधारण स्वरूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, **Bid Capacity** आदि का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे। **अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता** कार्य आवंटन/**LOA** निर्गत करने से पूर्व मिलान कर लेंगे कि परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि के अनुज्ञेय सीमा के अन्दर है। यदि अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो तो एकरारनामा के पूर्व पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
11. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेगें जो की एकारारनामा का भाग होगा।
12. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जायेगी।
13. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।

मिथिलेश कुमार ...

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Jaynagar
04.12.25